



2026:AHC-LKO:18766-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 6590/2019

पवन सुत एवं अन्य

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व एवं अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – मोहन सिंह

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, जय कुमार

न्यायालय संख्या – 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय

1. वाद पुकारा गया।
2. याचिकाकर्ता की ओर से इस याचिका पर बल देने के लिए कोई उपस्थित नहीं है, हालांकि, राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता उपस्थित हैं।
3. प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से दाखिल प्रतिशपथपत्र के अनुसार, जिस भूमि को पहले गौशाला निर्माण के लिए प्रस्तावित किया गया था, वह वन भूमि थी, इसलिए दूसरी भूमि प्रस्तावित की गई थी। इस संबंध में बजट भी स्वीकृत कर दिया गया था।
4. ऐसा प्रतीत होता है कि समय बीतने के साथ हेतुक का औचित्य समाप्त हो गया है।
5. तदनुसार, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

16 मार्च, 2026

पीयूष

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।